न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 113 / 2018

1 नरेन्द्र पुत्री श्री शिवबक्सा जाति जाट निवासी हरदयालपुरा तहसील व जिला सीकर। मो. नं. 8058656607

अपीलांट्स

बनाम

1 झाबर पुत्र श्री शिवबक्स
2 श्रीमती जडाव पत्नी शिवबक्स समस्त जाति जाट निवासी हरदयालपुरा तहसील व जिला सीकर।
3 भूमिधारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सीकर।
4 श्रीमती सुमित्रा पत्नी हरदयालसिंह जाति जाट निवासी फतेहपुर रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन अधिकारी सुश्री जूही भार्गव आरएएस दावा संख्या 327 / 2003 उनवानी सुरेन्द्र बनाम झाबर वगै. दिनांकित 20.06.2018

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

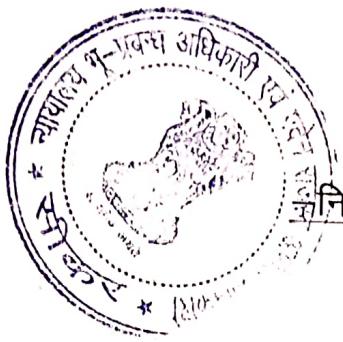

निर्णय–

दिनांकः– 9/12/25

यह अपील विचारण उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 327/2003 में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद उद्घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 544, 545, 546, 547, 548, 545/667, 186, 187, 479, 480, 481, 482 वाके ग्राम दादली का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी कैम्प कोर्ट में रखकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलाधीन वाद में तनकीयात कायम होने के पश्चात दिनांक 07.02.2004 को साक्ष्य वादी होकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत हो गई। पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत होने के पश्चात दिनांक 06.04.2004 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत हुआ कि दिनांक 18.09.2007 को पेश किया गया जवाब दावा उसकी ओर से नहीं दिया गया है इसलिए उसको निरस्त किया जाकर दूसरा जवाब दावा देने की अनुमति दी जावें। पत्रावली उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब दावा देने की अनुमति दी जावे। पत्रावली उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में चल रही थी। इसी दरम्यान रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अं. आदेश 01 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत हुआ जो दिनांक 26.10.2009 को स्वीकार कर लिया गया। परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत आवेदन अनिर्णित ही रह गया। दिनांक 07.10.2011 को विचारण न्यायालय द्वारा मनमर्जी से अपीलाधीन वाद में मौका रिपोर्ट मंगाये जाने बाबत आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश पालना में भेजी गई मौका रिपोर्ट को ही विभाजन प्रस्ताव मानते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद में बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही कैम्प चैनपुरा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांकित 20.06.2018 पारित कर दी गई।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... सीकर

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने से पूर्व विचारण न्यायालय द्वारा न तो प्राथमिक डिक्री पारित की गयी न रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से जवाब दावा के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निस्तारित किया गया न साक्ष्य प्रतिवादी ली गई तथा ना ही पक्षकारान को सुना गया। मौका रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का विवादित भूमियों पर कब्जा नहीं होना मान्य किया गया है तथा उसको विवादित भूमि बंटवारे में दिया जाना भी दर्शित नहीं किया गया है, केवल मात्र खातेदारी में नाम होना दर्शित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में भी इस स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसे बंटवारे में हिस्सा दिया गया है या नहीं दिया गया है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद उद्घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 544, 545, 546, 547, 548, 545/667, 186, 187, 479, 480, 481, 482 वाके ग्राम दादली का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी कैम्प कोर्ट में रखकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय में वाद अपीलान्ट का ही था। विचारण न्यायालय में विधिक प्रकिया अनुसार सुनवाई कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 4 सुमित्रा को पक्षकार तो संयोजित तो कर लिया गया है। परन्तु सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमांड किया जावें। वरवक्त बहस रेस्पोडेंट संख्या 4 आवेदन अ. आदेश 14 नियम 27 सीपीसी व आदेश 41 नियम 22 सीपीसी स्वीकार करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 को पक्षकार संयोजित करने के उपरांत सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये बिना विचाराधीन अंतिम डिकी जारी कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में दिनांक 13.06.2018 की तारीख पेशी नियत की हुई थी। इसके उपरांत आदेशिका अंकित किये बिना, उभयपक्ष के अधिवक्तागण को सूचित किये बिना पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट चैनपुरा मे रखकर विचाराधीन निर्णय अंतिम डिकी जारी की गई है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादी अपीलांट एवं प्रतिवादी संख्या 4 को सुने बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व अंतिम डिकी को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर लेकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार से प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.12.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 9/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपीलाधिकारी,
सीकर